न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम , डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 54/2021

उमेश कुमार सिंह वगै0 .....वादीगण।

बनाम्

बिहार सरकार वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

09-12-2024 उभयपक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के तरफ से दिनांक 29.02.2024 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि टाईपिस्ट की भूल से अधूरा वंशावली टाईप हो गया है तथा अनुरोध करते हैं कि आवेदन के आलोक में संशोधन करने का आदेश दिया जाय तथा यह भी कथन करते हैं कि उक्त संशांधन औपचारिक प्रकृति का है तथा उससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

बिहार सरकार की तरफ से दिनांक 15.04.2024 को प्रति–उत्तर दाखिल है जिसमें विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि वादी के द्वारा दाखिल आवेदन कानूनतः व तथ्यतः खारिज करने योग्य है तथा मुकदमा को लंबित करने के उददे्श्य से दाखिल किया गया है तथा बिहार सरकार अपना प्रतिवाद पत्र इस वाद में दाखिल कर चुका है। विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि वादी का आवेदन दिनांक 29.02.2024 को खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

शेष प्रतिवादीगण की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित करते है।

लगातार
09.12.2024

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में प्रतिवादीगण के तरफ से बयान तहरीरी दाखिल है यह मुकदमा साक्ष्य हेतू चल रहा है तथा वादी द्वारा यह संशोधन आवेदन बिलम्ब से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी के तरफ से दिनांक 29.02.2024 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को मो0 500/– (पॉच सौ रूपये) के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्चे की अदायगी जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर के पीड़ित प्रतिपूर्ति कोष में करें। प्रतिवादीगण यदि अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल करना चाहते है तो वे दाखिल कर सकते है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है खर्चे की अदायगी के पश्चात आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें।

दिनांक 06.02.2025 वास्ते साक्ष्य हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)